भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 90B/2018-19

1.भैरव महतो 2.डमरु ध्वज महतो 3. कमल किशोर महतो

बनाम

परमानन्द महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

19.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 941 दिनांक 15.10.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 90B / 2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. भैरव महतो 2.डमरुध्वज महतो 3. कमल किशोर महतो तीनों के पिता स्व0 गंभीर महतो, ग्राम-कृष्णपुर, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता परमानन्द महतो, पिता स्व0 लालू महतो ग्राम-कृष्णपुर, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
कृष्णपुर	73	22	839	0.31एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिताजी के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 0.31एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 6.97 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.31एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।